



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

सं०-145-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2012-100(1)प्र०सु०/92 दिनांक ८९ अप्रैल.2012

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन/पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि० एवं लेखा संगठन में कार्यरत अधिकारियों तथा विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए स्थानान्तरण नीति-2012-2013 के मार्ग-दर्शक सिद्धान्त एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया एतद्वारा निर्गत की जाती है।

2. कर्मिकों के स्थानान्तरण मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार गठित द्वि-सदस्यीय समिति के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किये जायें।

3. उपर्युक्त स्थानान्तरण नीति 2012-2013 के मार्ग-दर्शक सिद्धान्त एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया तत्काल प्रभावी होंगे तथा अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।

संलग्नक :- यथोपरि।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

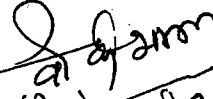
संख्या :- 145-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2012-100(1) प्र०सु०/92 तददिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से संबद्ध सलाहकार, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा० ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन, शक्ति भवन लखनऊ।
- 3 प्रबन्ध निदेशक मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
- 4 समस्त निदेशक गणों से संबद्ध निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा० ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 5 समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2) मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा० ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम लि०।
- 6 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7 अपर सचिव (का०प्र०-प्रथम)/(द्वितीय)/(तृतीय)/(आराजपत्रित) उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।

कमशः.....

8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र०पा० ट्रॉस्मिशन कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम लि०।
9. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा)/ (आय-व्ययक)/ (निधि)/ (प्रशासन) एवं (सम्प्रेक्षा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
11. वरिष्ठ उप-महालेखाकार/महालेखाकार (आडिट)-द्वितीय कार्यालय, द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा० ट्रॉस्मिशन कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त अधिकारी/शिविर/अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. अधिशाली अभियन्ता, वेव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,



(वी०के० शर्मा) 9/4/12

अपर सचिव (काम्र०-प्रथम)



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ0प्र0 पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं विद्युत वितरण निगमों तथा लेखा संगठन में कार्यरत समस्त अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति 2012-2013 के मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया

1.0 उद्देश्य:

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उ0प्र0 पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड एवं विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत अधिकारियों के सर्वांगीण विकास एवं उनकी दक्षता में एतदवृद्धि के मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये यह स्थानान्तरण नीति प्रतिपादित की जा रही है। यह नीति इस सिद्धान्त पर भी आधारित है कि क्षेत्रों में तैनात अधिकारी उपभोक्ताओं से सद्भावपूर्ण व्यवहार करते हुये बेहतर उपभोक्ता सेवा और राजस्व वसूली में वृद्धि के प्रति जागरूक रहें।

2.0 अधिकारियों की स्थानान्तरण नीति के सामान्य सिद्धान्त:

अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश इन निर्दिष्ट नीतिगत सिद्धान्तों का सामान्यतः अनुपालन करते हुये निर्गत किये जायेंगे।

2.01 तैनाती की सामान्य सीमा निम्नवत् होगी:

सहायक अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य महाप्रबन्धक एवं समकक्ष पदों के अधिकारियों हेतु :-

(1) एक पद पर	— 3 वर्ष
(2) एक जनपद में	— 6 वर्ष
(3) एक वित०/पारे० क्षेत्र में	— 10 वर्ष

स्थानान्तरण करने के लिए अवधि की गणना हेतु कट ऑफ डेट 31 मई, 2012 मानी जायेगी। यदि इस तिथि को किसी कार्मिक की एक पद पर सेवा 34 माह की भी पूर्ण हो गयी हो तो स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत केस टू केस बेसिस पर उनके स्थानान्तरण पर भी विचार किया जा सकता है।

अधिशाली अभियन्ता/अधीनस्थ अधिकारियों एवं समकक्ष अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक करेंगे परन्तु अधीक्षण अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) एवं समकक्ष स्तर तक के समस्त अधिकारियों का स्थानान्तरण पावर कारपोरेशन करेगा। आवश्यकतानुसार किसी स्तर के अधिकारी का स्थानान्तरण पावर कारपोरेशन/पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन मुख्यालय से भी किया जा सकता है। जनपद में तैनाती की समय सीमा की गणना अधिकारी द्वारा केवल पावर कारपोरेशन/पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन के अन्तर्गत पूर्ण किये गये सेवा काल से होगी। लखनऊ स्थित पावर कारपोरेशन/पावर ट्रॉन्समिशन मुख्यालय में मुख्य अभियन्ता एवं समकक्ष अधिकारियों के स्वीकृत पदों पर उपरोक्त समय-सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।



2.01.1 उपरोक्त समय परिधि के अतिरिक्त प्रशासनिक दृष्टि यथा कारपोरेशन के कार्य हित में, कार्य में अक्षमता इत्यादि तथा अन्य यथा प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति, व्यक्तिगत स्थिति के कारण आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जा सकते हैं।

2.01.2 स्थानान्तरित अधिकारियों (श्रेणी क/ख) की संख्या कुल पदों की संख्या के सामान्यतः 15 प्रतिशत तक सीमित रखी जायेगी। यदि स्थानान्तरित अधिकारियों की संख्या उक्त सीमा से अधिक होती है तो अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। विभिन्न विद्युत वितरण निगमों एवं पावर कारपोरेशन से उ0प्र0 पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि0 अथवा उ0प्र0 पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि0 से विभिन्न वितरण निगमों एवं पावर कारपोरेशन में अधिकारियों को अन्तिम रूप से आमेलित किये जाने के सन्दर्भ में किये गये स्थानान्तरण भी उपर्युक्त सीमा से मुक्त रहेंगे। प्रोन्नति पर किये जाने वाले स्थानान्तरण भी उपर्युक्त सीमा से मुक्त रहेंगे।

2.02 सामान्य परिस्थितियों में किसी भी अधिकारी को पुनः उसी स्थान/कार्यालय जहाँ पर वह पहले कार्य कर चुका है, 03 वर्ष की अवधि के अन्तराल से पहले तैनात नहीं किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि ऐसा किया जाना आवश्यक हो तो अधिकृत अधिकारी एक स्तर से ऊपर के अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही कर सकेंगे।

2.03 जिलों में जो अधिकारी अपने सेवाकाल में कुल 6 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त जिलों से स्थानान्तरित किया जायेगा, ऐसे ही जो अधिकारी अपने सेवाकाल में वितरण/पारेषण क्षेत्र में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त वितरण/पारेषण क्षेत्र से स्थानान्तरित किया जायेगा।

2.04 अधिशासी अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल (कमिश्नरी) में तैनात नहीं किया जायेगा तथा सहायक अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा।

2.05 उ0प्र0 पावर कारपोरेशन/उ0प्र0 पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन मुख्यालय पर एवं मुख्यालय से सम्बद्ध इकाईयों में असंवेदनशील पदों तथा विशिष्ट/अपरिहार्य तकनीकी इकाईयों जो निम्नलिखित हैं, पर तैनात अधिकारीगण स्थानान्तरण नीति में उल्लिखित तैनाती की सामान्य समय सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, परन्तु सीधे पब्लिक डीलिंग के कार्यों से सम्बन्धित पदों पर कार्यरत अधिकारियों को यह शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी :-

(क) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड (मुख्यालय संवर्ग) के समस्त अधिकारी/कर्मचारी।



- (ख) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ०प्र० पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के मुख्यालयों में अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक तथा समस्त निदेशकगण से सम्बद्ध पदों पर तैनात अभियन्ता/गैर अभियन्ता अधिकारी।
- (ग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ०प्र० पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लखनऊ स्थित परीक्षण एवं परिचालन, माइक्रोवेव, नियोजन, रेस्पो, वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा, ऊर्जा क्रय अनुबन्ध, विशेष ऊर्जा अनुबन्ध एवं टैरिफ मण्डल, ऊर्जा प्रणाली/प्रणाली नियंत्रण, ए०एल०डी०एस०, संचार एवं नियन्त्रण, विद्युत आयात निर्यात एवं भुगतान मण्डल, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, रेगुलेटरी एफेयर्स यूनिट, प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट, कम्प्यूटराइजेशन इकाई तथा सीएमयूडी।
- (घ) उ०प्र० पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन के अन्तर्गत पारेषण परिकल्पना से सम्बन्धित विभिन्न मण्डल।
- (च) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उ०प्र० पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय पर कार्यरत लेखा संवर्ग के अधिकारी।

उपर्युक्त ईकाईयों में असंवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारी का स्थानान्तरण यदि उसकी गृह मंडल में तैनाती के कारण प्रस्तावित हो तो विशेष परिस्थितियों में कार्य की विशिष्ट प्रकृति को दृष्टिगत कर, अध्यक्ष महोदय के पूर्वानुमोदन से, उन्हें स्थानान्तरण से मुक्त किया जा सकता है।

- 2.06 संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि नहीं की जायेगी।
- 2.07 यदि किसी अधिकारी को पिछले 05 वर्षों में तीन लघु दण्ड (अर्थात् अधिकारी को लघु दण्ड दिये जाने के पश्चात उसके विरुद्ध दिये गये प्रत्यावेदन पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त), या एक बृहद् दण्ड दिया गया हो तो उसे संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किया जायेगा। उक्त 05 वर्षों की गणना स्थानान्तरण सत्र से पूर्व के 05 वर्षों से की जायेगी।
- 2.08 यदि पति-पत्नी दोनों ही कारपोरेशन की सेवा में हों या उनमें से कोई एक सरकारी सेवा में अन्यत्र तैनात हों तो भी उन्हें कारपोरेशन की सेवा में कार्यरत कार्मिक के गृह जनपद तथा गाजियाबाद/नोयडा एवं वितरण निगमों के मुख्यालयों यथा कानपुर/मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी जनपदों को छोड़ते हुए, यथा सम्भव एक ही जनपद अथवा एक ही स्थान पर तैनात किये जाने का प्रयास किया जायेगा।



- 2.09 किसी अधिकारी के व्यक्तिगत कारण, जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि आधार पर स्थान रिक्त होने पर या दूसरे अधिकारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा बशर्ते कि उस पर प्रशासनिक आपत्ति न हो।
- 2.10 विकलांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन विकलांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जायेगा। ऐसे विकलांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जाये। विकलांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।
- 2.11 मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता पिता की तैनाती, प्राधिकृत पावर कारपोरेशन/सरकारी चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर उनके विकल्प के अनुसार, ऐसे स्थानों पर करने का प्रयास किया जायेगा, जहाँ चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो।
- 2.12 निजी अनुरोध पर किये जाने वाले स्थानान्तरण पर सम्बन्धित अधिकारियों को यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- 3.0 प्रत्येक संवर्ग के अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर तक के अधिकारियों की तैनाती हेतु उनकी उपयुक्तता, सामान्य प्रतिष्ठा, पूर्व में किये गये कार्यों की समीक्षा में पायी गई दक्षता के बिन्दु विचारित किये जायेंगे।
- 4.0 कारपोरेशन के सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने के तिथि से 2 वर्ष तक नहीं किये जायेंगे। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु अधिकृत अधिकारी से एक स्तर ऊपर के अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- 4.01 अधीक्षण अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को छोड़ते हुए अन्य उन अधिकारियों जिनकी सेवानिवृत्ति में मात्र दो वर्ष शेष हैं, उनके अनुरोध पर उनका स्थानान्तरण उनके गृह जनपद/गाजियाबाद/नोयडा एवं वितरण निगमों के मुख्यालयों यथा कानपुर/मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी जनपदों को छोड़ते हुए, अन्य इच्छित जनपद में किये जाने पर यथा सम्भव विचार किया जायेगा।
- 5.0 **स्थानान्तरण प्रक्रिया :-**
- 5.01 प्रबन्ध निदेशक अपने वितरण निगमों में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता, स्तर तक के अधिकारियों का स्थानान्तरण अपने कार्य क्षेत्र में स्थानान्तरण नीति 2012-2013 के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अनुसार करेंगे एवं अपने वितरण निगमों में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों की वर्गवार अलग-अलग सूची, जिनके स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से, कारण का उल्लेख करते हुये, अपने निगम से बाहर किया जाना प्रस्तावित हो, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायेंगे।



- 5.02 प्रबन्ध निदेशक अधीक्षण अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) एवं समकक्ष तक के अधिकारियों की अलग-अलग सूची जिनका स्थानान्तरण असामान्य परिस्थितियों में प्रशासनिक कारणों से प्रस्तावित हो, कारणों का उल्लेख करते हुये अध्यक्ष, महोदय को उपलब्ध करायेंगे।
- 5.03 समस्त स्थानान्तरण/आवंटन दिनांक 30.06.2012 तक पूर्ण कर लिए जाए एवं उक्त तिथि के उपरान्त कोई स्थानान्तरण/आवंटन न किया जाए।
- 5.04 नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के 7 दिन के अन्दर अवमुक्त करे दें। स्थानान्तरण होने के कारण अधिकारी के पद रिक्तता की स्थिति में उसी जनपद या (समीपवर्ती जनपद) में किसी सम्बद्ध अधिकारी को अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्यभार दिया जायेगा। स्थानान्तरित अधिकारी का दायित्व होगा कि वह कार्यमुक्त होने के पश्चात विलम्बतम् निर्धारित समय सीमा के अन्दर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि के पश्चात पूर्व तैनाती स्थान पर किसी भी दशा में अधिकारी को वेतन आहरण का अधिकार नहीं होगा। कारपोरेशन मुख्यालय स्तर से बिना अनुमति प्राप्त किये यदि कोई स्थानान्तरित अधिकारी अवमुक्त नहीं होता है तो इसके लिये नियन्त्रक अधिकारी तथा समबन्धित महाप्रबन्धक/मुख्य महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2) दोषी माने जायेंगे।
- 5.05 स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्त होने के पश्चात यदि नव तैनाती स्थान पर निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य भार ग्रहण नहीं करते हैं तो इसके लिये वह स्वयं दोषी माने जायेंगे।
- 5.06 स्थानान्तरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का दायित्व होगा कि वह स्थानान्तरित किये जाने वाले कार्मिक के सम्बन्ध में किसी तथ्य को न छिपाये। यदि भविष्य में कोई ऐसा तथ्य संज्ञान में आता है तो नियन्त्रक अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 5.07 स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना में सहयोग करने के दोषी पाये गये नियन्त्रक अधिकारी/महाप्रबन्धक/मुख्य महाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2) के विरुद्ध सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम 27 का उल्लंघन मानते हुये उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय।
- 5.08 स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश:-

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाय। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक



(अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के संबंध में भी विचार किया जाय। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाय तथा उसकी सूचना उसकी वेतन आहरण-वितरण इकाई को दे दी जाय।

- 5.09 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तैनात कार्मिकों को उनके नियन्त्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाये, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण नकर लें परन्तु प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानान्तरणों पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
- 5.10 पदोन्नति पर स्थानान्तरित किये गये अधिकारी द्वारा नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनसे पदोन्नति को 'फोर गो' करने के सम्बन्ध में लिखित पत्र लेकर उनके सेवा अभिलेखों में उल्लेख करते हुये तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 5.11 स्थानान्तरित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पद मुक्त होने से पूर्व वह महत्वपूर्ण प्रकरणों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के सम्बन्ध में एक चार्ज नोट बनाये ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।
- 6.0 विभिन्न संगठनों के अन्तर्गत संवेदनशील पद निम्नवत् निर्धारित किये जाते हैं :-

6.1 वितरण संगठन :-

- (1) सभी विद्युत वितरण मण्डल तथा नगरीय वितरण मण्डल को सम्मिलित करते हुए एवं उससे सम्बन्धित सभी खण्ड एवं उपखण्ड।
- (2) विद्युत वितरण मण्डल एवं नगरीय वितरण मण्डल के अन्तर्गत विद्युत परीक्षण खण्ड एवं सहायक अभियन्ता (मीटर्स)।
- (3) सभी सामग्री भण्डार मण्डल एवं उससे सम्बन्धित खण्ड/उपखण्ड।
- (4) सभी विद्युत कार्य मण्डल/कार्यशाला मण्डल एवं इससे संबंधित सभी खण्ड/उपखण्ड।

6.02 ट्रान्समिशन कारपोरेशन :-

- (1) सभी विद्युत पारेषण मण्डल एवं उससे सम्बन्धित सभी खण्ड एवं उपखण्ड।

7.0 जानपद संगठन :-

- (1) सभी विद्युत जानपद वितरण मण्डल एवं उससे सम्बन्धित खण्ड एवं उपखण्ड।
- (2) सभी विद्युत जानपद पारेषण मण्डल एवं उससे सम्बन्धित खण्ड एवं उपखण्ड।

8.0 लेखा संगठन :-

- (1) वितरण/पारेषण संगठन में उप-मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी के पद।
- (2) उपमुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी के वे सभी पद जिन पर धन आहरण एवं वितरण तथा बैंक खाता संचालन के अधिकार प्रदत्त हैं।

